न्यूज़ टुडे

बागवानी की ओर कृषि क्षेत्रक का विविधीकरण: अनुकूल कृषि का मार्ग

हाल ही में, RBI के बुलेटिन में उल्लेख किया गया है कि **बागवानी जैसी उच्च मूल्य वाली फसलों की खेती को बढ़ावा** देने के माध्यम से **कृषि क्षेत्रक का विविधीकरण ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त** कर सकता।

बागवानी या हॉर्टिकल्चर क्षेत्रक के बारे में

- यह एक व्यापक और विविध कृषि क्षेत्रक है। इसमें **फलों, सब्जियों, फूलों और सजावटी पौधों की खेती, उत्पादन, प्रसंस्करण एवं विपणन** शामिल है।
- **भारत विश्व में फल और सब्जियों का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक** है। प्रथम स्थान पर **चीन** है।

बागवानी कृषि विविधीकरण के प्रमुख रुझान

- **कृषि क्षेत्रक में संवृद्धि का मुख्य चालक:** बागवानी क्षेत्रक का **कृषि सकल मूल्य-वर्धन (GVA) में 33% का योगदान** है।
- **बदलती आहार प्राथमिकताएं:** ग्रामीण और शहरी, दोनों क्षेत्रों में **खाद्य व्यय में फलों का हिस्सा बढ़** रहा है।
- **लघु और सीमांत किसानों की भागीदारी:** वे अपनी भूमि के बड़े हिस्सों पर बागवानी फसलों की खेती करते हैं।

मुख्य चिंताएं या चुनौतियां

- **उपज में उतार-चढ़ाव:** उदाहरण के लिए- 1992-93 से 2021-22 के बीच **अंगूर और चीकू की पैदावार में गिरावट** दर्ज की गई है।
- **उपज के भंडारण की कम क्षमता:** इस वजह से **भारत में प्रतिवर्ष लगभग 1.5 ट्रिलियन रुपये का नुकसान** होता है।
- **मूल्य में उतार-चढ़ाव:** उदाहरण के लिए- मौसम की परिस्थितियों के कारण **टमाटर, प्याज़ और आलू (TOP)** की कीमतों में उतार-चढ़ाव होता रहता है।

भविष्य के लिए नीतिगत सिफारिशें

- **बाजार से बेहतर तरीके से जोड़ना:** किसानों को निर्यात बाजारों व शहरी उपभोक्ताओं के बीच मजबूती से जोड़ना चाहिए।
- **मिश्रित फसल (इंटरक्रॉपिंग) को बढ़ावा:** बागवानी और गैर-बागवानी फसलों की **मिश्रित खेती** को बढ़ावा देना चाहिए। इससे उपज में सुधार होगा, मृदा की उर्वरता बनी रहेगी और किसानों की आय में भी बढ़ोतरी होगी।
- **कृषि अनुसंधान को बढ़ावा:** जलवायु परिवर्तन और कीट प्रबंधन जैसी नई चुनौतियों से निपटने के लिए तकनीकों का विकास करना चाहिए तथा उत्पादकता में सुधार करना चाहिए।
- **कृषि-प्रसंस्करण उद्योगों का विकास:** यह निर्यात में उच्च वृद्धि, फसल-कटाई पश्चात हानियों में कमी और ग्रामीण अर्थव्यवस्था में रोजगार के अवसर उत्पन्न करने में मदद करेगा।

बागवानी क्षेत्रक के लिए शुरू की गई पहलें

- **एकीकृत बागवानी विकास मिशन (MIDH)** 2014 में शुरू किया गया था।
- क्लस्टर विकास कार्यक्रम
- कॉर्डिनेटेड प्रोग्राम ऑन हॉर्टिकल्चर असेसमेंट एंड मैनेजमेंट यूजिंग जियोइन्फॉर्मेटिक्स **(चमन/ CHAMAN)**
- उच्च गुणवत्ता वाली रोपण सामग्री के लिए **क्लीन प्लांट प्रोग्राम (CPP)**

भारत और जापान के बीच कई समझौतों तथा अगले दशक के लिए एक विज़न प्लान पर सहमति बनी

भारत-जापान 15वें वार्षिक शिखर सम्मेलन में भारत और जापान ने **अगले दशक के लिए संयुक्त विज़न** की घोषणा की। इसमें **द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत** करने के लिए एक रोडमैप तैयार किया गया है। इस विज़न के तहत जापान ने भारत में **एक दशक में 10 ट्रिलियन येन** के निवेश का लक्ष्य रखा है।

शिखर सम्मेलन के प्रमुख परिणाम

- **अगले दशक के लिए भारत-जापान संयुक्त विज़न:** यह आठ क्षेत्रकों- आर्थिक साझेदारी, आर्थिक सुरक्षा, गतिशीलता, प्रौद्योगिकी और नवाचार, आदि में एक 10-वर्षीय रणनीतिक फ्रेमवर्क है।
- **सुरक्षा सहयोग पर संयुक्त घोषणा-पत्र:** इसमें रक्षा और सुरक्षा सहयोग को बढ़ाने के लिए एक व्यापक फ्रेमवर्क शामिल है। इसके तहत **आर्थिक सुरक्षा पहल** भी शुरू की गई है।
- **भारत-जापान मानव संसाधन विनिमय के लिए कार्य योजना:** इसके तहत **पांच वर्षों में 5,00,000 लोग (जिनमें 50,000 कुशल और अर्द्ध-कुशल भारतीय)** शामिल हैं, दो-तरफा आवागमन को बढ़ावा दिया जाएगा। इसे **नेक्स्ट जनरेशन मोबिलिटी पार्टनरशिप** भी कहा जा रहा है।
- **संयुक्त क्रेडिटिंग तंत्र पर सहयोग:** इसका उद्देश्य भारत में जापानी निवेश और भारत के सतत विकास को बढ़ावा देना है।
- **भारत-जापान डिजिटल साझेदारी 2.0:** इसे AI जैसे भविष्य के **तकनीकी क्षेत्रों में सहयोग और संयुक्त अनुसंधान एवं विकास को बढ़ावा** देने के लिए शुरू किया गया है। इसके तहत **भारत-जापान AI पहल** की शुरुआत की गई है।
- **अन्य:** दोनों देशों ने **खनिज संसाधन, संयुक्त चंद्र ध्रुवीय अन्वेषण मिशन, स्वच्छ हाइड्रोजन और अमोनिया (सतत ईंधन पहल), सांस्कृतिक आदान-प्रदान, घरेलू अपशिष्ट जल प्रबंधन**, आदि क्षेत्रकों में समझौता ज्ञापन (MoUs) पर हस्ताक्षर किए।

जापान-भारत संबंधों का महत्त्व

- **साझे सामरिक हित:** विशेष रूप से दक्षिण चीन सागर में चीन के सैन्य और राजनीतिक हस्तक्षेप दोनों देशों के लिए साझा चिंता का विषय हैं।
- **रक्षा संबंध:** दोनों देशों के मध्य **एक्वीजीशन एंड क्रॉस-सर्विसिंग एग्रीमेंट (ACSA)** है। इसके अलावा, दोनों देशों के बीच **'धर्म गार्जियन', 'शिन्यू मैत्री' और 'जिमेक्स (JIMEX)'** जैसे सैन्य युद्धाभ्यास भी आयोजित किए जाते हैं।
- **प्रगतिशील बहुपक्षवाद:** दोनों देश **संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद** में सुधारों का समर्थन करते हैं और **क्वाड, G-20, G-4** जैसे कई वैश्विक समूहों का हिस्सा हैं।
- **औद्योगिक विकास:** इसमें **भारत-जापान औद्योगिक प्रतिस्पर्धात्मकता साझेदारी और भारत-जापान लघु एवं मध्यम उद्यम फोरम** शामिल हैं।

संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (UNDP) ने "सिक्योरिंग राइट्स, इनेबलिंग फ्यूचर्स" नामक रिपोर्ट जारी की

यह रिपोर्ट **छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और ओडिशा** में दो दशकों से अधिक समय से **वनाधिकार अधिनियम (FRA)** के कार्यान्वयन की समीक्षा करती है। साथ ही, इसमें **नवाचारों, चुनौतियों और लगातार बनी खामियों** का उल्लेख किया गया है।

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के बारे में

- इसे 2006 में '**अनुसूचित जनजाति और अन्य पारंपरिक वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम**' शीर्षक से अधिनियमित किया गया था। इसे लोकप्रिय रूप से **वन अधिकार अधिनियम (FRA)** के नाम से जाना जाता है।
- **उद्देश्य:** वनों में रहने वाले समुदायों के साथ हुए ऐतिहासिक अन्याय को समाप्त करना; उनकी आजीविका और खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना आदि।

वन अधिकार अधिनियम (FRA) के कार्यान्वयन में चुनौतियां

- **उच्च अस्वीकृति दर:** इसकी वजह प्रक्रियात्मक त्रुटियां, दस्तावेज़ीकरण की कमी या FRA प्रावधानों की गलत व्याख्या है।
- **अधिकारों का अभिलेखीकरण:** भूमि अभिलेखों की खराब गुणवत्ता और अस्पष्ट अधिकार-मान्यता प्रक्रियाएं।
- **मान्यता के बाद की समस्याएं:** सामुदायिक वन संसाधनों (CFRs) के सीमा निर्धारण और सामुदायिक वन संसाधन प्रबंधन समितियों (CFRMCs) के गठन में कठिनाई।
- **संस्थागत क्षमता की कमी:** केंद्र और राज्य स्तर पर कमजोर क्षमता, तथा विभागों के बीच खराब समन्वय।
- **अन्य मुद्दे:** सामाजिक एवं ज्ञान संबंधी बाधाएं, राज्यों में असमान कार्यान्वयन, प्रक्रिया में ग्राम सभा की सीमित भागीदारी, आदि।

UNDP रिपोर्ट की प्रमुख सिफारिशें

- सभी **सामाजिक सुरक्षा और आजीविका कार्यक्रमों में वन अधिकार धारकों** को एक श्रेणी के रूप में मान्यता दी जानी चाहिए।
- राष्ट्रीय और राज्य योजनाओं के तहत **FRA अधिकार धारकों के लिए समर्पित निधियां उपलब्ध** करानी चाहिए।
- FRA को **राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (NRLM)** से जोड़ा जाना चाहिए और लैंगिक-संवेदनशील आजीविका अवसर सुनिश्चित करने का प्रयास करना चाहिए।
- **अधिकारों की मान्यता और उनकी प्रदायगी** सुनिश्चित करने के लिए एक अंतिम तिथि तय करने हेतु एक **सनसेट क्लॉज़** प्रस्तुत करने की आवश्यकता है।
- **अधिकार प्राप्ति के बाद सहायता को मजबूत करना** तथा केवल कल्याण दृष्टिकोण से आगे बढ़कर सामुदायिक सशक्तीकरण की तरफ उन्मुख होने की जरूरत है।
- समग्र शासन के लिए **FRA को पेसा/ PESA (पंचायत उपबंध (अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार) अधिनियम), 1996** के साथ एकीकृत किया जाना चाहिए।

लोक सभा अध्यक्ष ने कहा कि संसदीय समितियां "संसदीय लोकतंत्र की रीढ़ हैं"

लोक सभा अध्यक्ष ने उपर्युक्त टिप्पणी **संसद और राज्य विधान-मंडलों की अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण समितियों के अध्यक्षों के राष्ट्रीय सम्मेलन** के उद्घाटन के अवसर पर की।

संसदीय समितियों की भूमिका

- **पक्षपात-रहित कार्यप्रणाली सुनिश्चित करना और आम-सहमति बनाना:** इन समितियों में विपक्षी दल सहित अलग-अलग राजनीतिक दलों के सदस्य शामिल होते हैं। इससे विभिन्न मुद्दों पर सर्वदलीय आम सहमति बन पाती है।
- **अलग अलग क्षेत्रकों के विशेषज्ञों का लाभ मिलना:** जैसे स्वास्थ्य संबंधी समिति ने **सरोगेसी (विनियमन) विधेयक, 2016** का अध्ययन किया।
- **सरकार की जवाबदेही सुनिश्चित करना:** जैसे- 2024 में लोक लेखा समिति ने चार मंत्रालयों द्वारा किए गए अतिरिक्त व्यय पर सवाल किए।
- **विकास के मुद्दों पर ध्यान देना:** जैसे- ग्रामीण विकास समिति ने पंचायती राज संस्थाओं के लिए लगातार घटते बजटीय आवंटन पर चिंताएं व्यक्त की।
- **विधेयकों की त्रुटियों को उजागर करके संसद द्वारा पारित कानून को सशक्त बनाना:** जैसे- **व्यक्तिगत डेटा संरक्षण विधेयक, 2019** को संयुक्त संसदीय समिति की सिफारिशों के आधार पर संशोधित किया गया था।

संसदीय समितियों की कार्यप्रणाली में चुनौतियां

- **विधेयकों को समितियों के पास भेजना अनिवार्य नहीं:** समितियों के विचारार्थ भेजे गए विधेयकों का प्रतिशत घट रहा है। **उदाहरण के लिए:** 15वीं लोक सभा में 71%, 16वीं लोक सभा में 28% और, **17वीं लोक सभा में केवल 16%** विधेयक संसदीय समितियों के विचार के लिए भेजे गए थे।
- **अल्प भागीदारी:** समिति की बैठकों में सांसदों की उपस्थिति लगभग 50% होती है, जो संसद सत्रों की 84% उपस्थिति से भी कम है।
- **विशेषज्ञ और शोध आधारित सहयोग का अभाव:** संसदीय समितियों में अक्सर कर्मचारियों की कम संख्या देखी जाती है। इन समितियों में पूर्णकालिक तकनीकी विशेषज्ञ भी कम होते हैं। इन्हें अलग-अलग विषयों पर शोध आधारित सहयोग भी नहीं मिल पाता है।

सुधार के लिए उठाए जाने वाले कदम

- **विधेयकों को भेजना अनिवार्य करना:** विधेयकों को पारित होने से पहले समितियों के पास **विचार करने के लिए भेजना अनिवार्य** किया जा सकता है, जैसे कि **यूनाइटेड किंगडम** में व्यवस्था है।
- **पारदर्शिता बढ़ानी चाहिए:** समिति की कुछ सिफ़ारिशों को अस्वीकार करने के कारण स्पष्ट किए जाने चाहिए।
- **शोध आधारित सहयोग प्रदान करना चाहिए:** संसदीय समितियों को विशेषज्ञ सलाहकार रखने की अनुमति दी जानी चाहिए, ताकि किसी विषय की गहन जांच-पड़ताल की जा सके।

दो नए न्यायाधीशों की नियुक्ति से सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या बढ़कर 34 हो गई

सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति की प्रक्रिया **कॉलेजियम प्रणाली** द्वारा संचालित होती है। इस प्रणाली को शीर्ष न्यायालय ने अपने फैसलों की एक श्रृंखला के माध्यम से स्थापित किया है।

कॉलेजियम के बारे में

- यह **सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स के न्यायाधीशों की नियुक्ति हेतु सिफारिशें** करने वाली एक प्रणाली है।
- न्यायाधीशों की नियुक्ति संविधान के **अनुच्छेद 124 और 217 (क्रमशः सुप्रीम कोर्ट एवं हाई कोर्ट्स के लिए) के तहत राष्ट्रपति** द्वारा की जाती है।
- **सुप्रीम कोर्ट में नियुक्ति के लिए:** कॉलेजियम में **भारत का मुख्य न्यायाधीश (CJI) और सुप्रीम कोर्ट के चार अन्य सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश** शामिल होते हैं।
- **हाई कोर्ट्स में नियुक्ति के लिए:** हाई कोर्ट कॉलेजियम का **अध्यक्ष संबंधित हाई कोर्ट का वर्तमान मुख्य न्यायाधीश** होता है, जबकि **दो अन्य वरिष्ठतम न्यायाधीश इसके सदस्य** होते हैं। यह कॉलेजियम, **सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम को अपनी सिफारिशें** भेजता है।
  - **अंतिम निर्णय** CJI की अध्यक्षता वाला कॉलेजियम और सुप्रीम कोर्ट के **दो वरिष्ठतम न्यायाधीश** लेते हैं।

भारत में कॉलेजियम प्रणाली का विकास

- **1980 के दशक से पहले:** इस अवधि से पहले, न्यायिक नियुक्तियां मुख्य रूप से कार्यपालिका के नियंत्रण में थी। **राष्ट्रपति द्वारा CJI के परामर्श से न्यायाधीशों की नियुक्ति** की जाती थी।
- **फर्स्ट जजेज़ केस (1981):** सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि यहां राष्ट्रपति के **"परामर्श" का अर्थ "सहमति" (Concurrence) नहीं** है। इसका यह अर्थ हुआ कि हालांकि राष्ट्रपति नियुक्ति के संबंध में न्यायाधीशों से परामर्श करेंगे, लेकिन उनका निर्णय न्यायाधीशों के साथ सहमति के रूप में बाध्य नहीं होगा।
  - इसने **न्यायिक नियुक्तियों में कार्यपालिका को प्रधानता** दी।
- **सेकंड जजेज़ केस (1993):** इस मामले में दिए गए निर्णय से कॉलेजियम प्रणाली की शुरुआत हुई। निर्णय में कहा गया कि **"परामर्श" का वास्तव में अर्थ "सहमति" है।** शीर्ष न्यायालय ने कहा कि नियुक्ति की सिफारिश **CJI द्वारा अपने दो वरिष्ठतम सहयोगियों (न्यायाधीशों) के परामर्श** से की जानी चाहिए।
- **थर्ड जजेज़ केस (1998):** सुप्रीम कोर्ट ने कॉलेजियम का विस्तार करके इसमें **CJI और चार सबसे वरिष्ठ न्यायाधीशों** को शामिल किया।
- **फोर्थ जजेज़ केस (2015):** सुप्रीम कोर्ट ने **राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग (NJAC) और 99वें संविधान संशोधन अधिनियम को असंवैधानिक घोषित** करते हुए रद्द कर दिया। इसके परिणामस्वरूप, **कॉलेजियम प्रणाली को फिर से बहाल** कर दिया गया।

अन्य सुर्ख़ियां

कोनोकार्पस पेड़

हाल ही में, सरकार द्वारा नियुक्त एक पैनल ने सुप्रीम कोर्ट को **कोनोकार्पस नामक एक विदेशी वृक्ष प्रजाति पर प्रतिबंध लगाने की सिफारिश** की है।

कोनोकार्पस (बटनवुड या दमास) के बारे में

- **उत्पत्ति:** इसकी दो प्रजातियां हैं:
  - **एक प्रजाति उष्णकटिबंधीय अमेरिका** के तटीय क्षेत्रों और पश्चिम अफ्रीका के कुछ हिस्सों में पाई जाती है।
  - **दूसरी प्रजाति** सोमालिया और यमन के शुष्क तटीय क्षेत्रों, पूर्वी और उत्तरी अफ्रीका तथा अरब प्रायद्वीप में पाई जाती है।
- **भारत में इसे क्यों उगाया गया:** यह एक प्रकार का **सजावटी पौधा** है, जो **ग्रीन कैनोपी** प्रदान करता है तथा यह **गर्मी, लवणता, वायु एवं धूल प्रदूषण सहन करने में सक्षम** है। इस पौधे को कम देखभाल की आवश्यकता होती है।
- **पौधे से जुड़ी मुख्य चिंताएँ –**
  - **जैव विविधता के लिए खतरा:** यह स्थानीय कीट-पतंगों, पक्षियों या स्तनपाई प्रजातियों को बहुत कम सहारा देता है और यह **आक्रामक प्रजाति** भी है। इसे **"ग्रीन डेजर्ट"** भी कहा जाता है।
  - **पारिस्थितिकी तंत्र के लिए खतरा:** अत्यधिक भूजल का उपभोग करता है।
  - **लोगों की सेहत के लिए खतरा:** इसका पराग एलर्जी का कारण बनता है।
- **गुजरात और तमिलनाडु सरकारों ने इस पेड़ के उगाने पर प्रतिबंध** लगा दिया।

UNTOC और UNCAC

हाल ही में, भारत ने एक भगोड़े अपराधी के प्रत्यर्पण हेतु अनुरोध में **UNTOC और UNCAC** का हवाला दिया।

संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय संगठित अपराध अभिसमय (UNTOC)

- यह **संयुक्त राष्ट्र की एक संधि** है जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संगठित अपराध से निपटने के लिए बनाई गई। इसे **2000** में अपनाया गया और **2003** में लागू किया गया।
- इसके तीन पूरक प्रोटोकॉल हैं जो **मानव तस्करी, अवैध प्रवासी तस्करी और हथियारों के अवैध निर्माण व तस्करी** से संबंधित हैं।
- इसे **पालेर्मो कन्वेंशन** के नाम से भी जाना जाता है। यह दुनिया की ऐसी **एकमात्र बाध्यकारी कानूनी संधि** है जिसके ज़रिए देश संगठित अपराध के खिलाफ कार्रवाई करने और सहयोग करने के लिए प्रतिबद्ध हैं।
- **संयुक्त राष्ट्र ड्रग्स और अपराध कार्यालय (UNODC)** UNTOC के सचिवालय के रूप में कार्य करता है।

संयुक्त राष्ट्र भ्रष्टाचार-रोधी कन्वेंशन (UNCAC)

- यह दुनिया का **कानूनी रूप से बाध्यकारी एकमात्र सार्वभौमिक भ्रष्टाचार-रोधी कन्वेंशन** है। इसे **2000** में अपनाया गया और **2003** में लागू हुआ।
- यह **भ्रष्टाचार के कई रूपों;** जैसे रिश्वतखोरी, गबन आदि से निपटता है।
- इसका मुख्य बल- भ्रष्टाचार की **रोकथाम, अपराधीकरण, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और संपत्ति की वसूली** पर है।

रणजीत सागर बांध

भारतीय सेना ने रणजीत सागर बांध से भारी मात्रा में पानी छोड़ने के **बाद बाढ़ग्रस्त माधोपुर हेडवर्क्स से फंसे हुए CRPF कर्मियों और नागरिकों** को सुरक्षित निकाला।

रणजीत सागर बांध (थीन बांध) के बारे में

- **अवस्थिति:** पठानकोट के पास, पंजाब-जम्मू और कश्मीर सीमा पर।
- **नदी:** रावी नदी पर।
- **उद्देश्य:** पंजाब और पड़ोसी राज्यों को सिंचाई सुविधा और जलविद्युत प्रदान करना।

राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक (SEEI)

हाल ही में, जारी राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2024 में **महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, असम और त्रिपुरा ने अपने-अपने राज्य समूहों में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन** किए।

- यह **राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक** (SEEI) का छठा संस्करण है।

राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक (SEEI) के बारे में

- **विकासकर्ता:** ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (BEE) द्वारा **अलायन्स फॉर ऐन एनर्जी एफिशिएंट इकॉनमी** (AEEE) के सहयोग से।
- **उद्देश्य:** यह सूचकांक **36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के ऊर्जा दक्षता में प्रदर्शन का आकलन** करता है। इससे डाटा-आधारित निगरानी, सर्वोत्तम कार्यप्रणालियों का आदान-प्रदान और स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा मिलता है।
- **राज्यों को चार प्रदर्शन श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है:** फ्रंट-रनर्स (60% से अधिक), अचीवर्स (50-60%), कंटेंडर्स (30-50%), एस्पिरेंट्स (30% से कम) ।
  - BEE द्वारा शुरू की गई **राज्य ऊर्जा दक्षता कार्य योजनाएँ**, सबसे अधिक ऊर्जा-खपत वाले क्षेत्रकों में ऊर्जा दक्षता को बढ़ावा देने में अहम् भूमिका निभाती हैं।

पर्पल नोटिस

प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने इंटरपोल के माध्यम से **अपना पहला पर्पल नोटिस जारी** किया।

पर्पल नोटिस के बारे में

- **इंटरपोल आठ प्रकार के अलर्ट** जारी करता है जिनमें **पर्पल नोटिस भी शामिल** है।
- **उद्देश्य:** यह विशेष रूप से अपराधियों द्वारा उपयोग किए जाने वाले **कार्य करने के तरीकों (modus operandi)**, वस्तुओं, उपकरणों और छिपाने की पद्धतियों के बारे में जानकारी प्रदान करने के लिए जारी किया जाता है।
- **इंटरपोल द्वारा जारी अन्य नोटिस:** रेड, येलो, ब्लू, ब्लैक, ग्रीन, ऑरेंज, सिल्वर नोटिस (पायलट चरण)।
  - **इंटरपोल–संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद विशेष नोटिस:** यह उन संस्थाओं और व्यक्तियों के लिए जारी किया जाता है जो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद प्रतिबंध समितियों के निशाने पर होते हैं।

हिंद महासागर नौसैनिक संगोष्ठी (IONS)

हाल ही में, कोच्चि में **हिंद महासागर नौसैनिक संगोष्ठी** (IONS) में **इमर्जिंग लीडर्स पर पैनल परिचर्चा** आयोजित की गई।

IONS के बारे में

- यह एक **स्वैच्छिक पहल** है जिसे **भारतीय नौसेना ने 2008 में शुरू** किया था।
- **उद्देश्य:** हिंद महासागर क्षेत्र के तटवर्ती देशों की नौसेनाओं के बीच समुद्री सहयोग बढ़ाना।
- इसका **पहला संस्करण वर्ष 2008 में नई दिल्ली में** आयोजित हुआ था।
- **सदस्य:** 25 सदस्य और 9 पर्यवेक्षक।
  - **सदस्यता के लिए पात्रता:** ऐसा राष्ट्र-राज्य जिसकी स्थायी भूमि-सीमा या सीमा हिंद महासागर को स्पर्श करती हो और जिसकी अपनी नौसेना या समुद्री एजेंसी हो।
  - **IONS की अध्यक्षता हर 2 वर्ष में किसी नए देश को** सौंपी जाती है। भारत 2025-27 के दौरान इसकी अध्यक्षता करेगा।

करेन्नी और करेन नृजाति समुदाय

थाईलैंड ने म्यांमार के लंबे समय से रह रहे शरणार्थी समुदायों "करेन्नी" और "करेन" को **कार्य करने का अधिकार** प्रदान किया है।

करेन समुदाय के बारे में

- करेन **दक्षिण-पूर्व एशिया** का एक बड़ा और बिखरा हुआ नृजातीय समूह है।
- इनकी उत्पत्ति **गोबी मरुस्थल, मंगोलिया या तिब्बत** से मानी जाती है।

करेन्नी समुदाय के बारे में

- यह **म्यांमार का एक अल्पसंख्यक समुदाय** है, जिसे **रेड करेन** या **कयाह** भी कहा जाता है।

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (NDMA)

प्रधान मंत्री ने NDMA **में दो नए सदस्यों की नियुक्ति** की और तीन मौजूदा सदस्यों को तीन साल के लिए पुनर्नियुक्ति की मंजूरी दी।

NDMA के बारे में

- **अध्यक्ष:** NDMA की **अध्यक्षता प्रधान मंत्री द्वारा** की जाती है। यह भारत में आपदा प्रबंधन के लिए सर्वोच्च संस्था है।
- **गठन:** इसे **आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005** के तहत गठित किया गया है।
- **अधिकार-क्षेत्र:** आपदा प्रबंधन के लिए नीतियां और योजनाएं बनाना तथा दिशा-निर्देश तैयार करना।
- **विजन:** एक समग्र, सक्रिय, प्रौद्योगिकी-संचालित और सतत विकास रणनीति के माध्यम से सुरक्षित और आपदा-रोधी भारत का निर्माण करना।

सुर्ख़ियों में रहे व्यक्तित्व

मेजर ध्यानचंद (1905 - 1979)

राष्ट्रीय खेल दिवस (29 अगस्त) के अवसर पर प्रधान मंत्री ने **मेजर ध्यानचंद को श्रद्धांजलि अर्पित की।**

- **ध्यानचंद** को उनकी स्टिक वर्क और खेल की बेहतर समझ के कारण '**हॉकी के जादूगर**' और '**द मैजिशियन**' के नाम से जाना जाता है।
- वे एक सिपाही के रूप में **ब्रिटिश भारतीय सेना में भर्ती** हुए थे।
- उन्होंने **1928, 1932 और 1936 में भारत को ओलंपिक में स्वर्ण पदक दिलाने** में अहम भूमिका निभाई।
- उन्हें **1956 में पद्म भूषण से सम्मानित** किया गया।
- **मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार** उन्हीं के नाम पर रखा गया है जो खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वालों को दिया जाता है।
- **मूल्य:** अटल, अनुशासन, खेल भावना, आदि।